न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 291/2026

मुन्ना कुमार बनाम बिहार सरकार

लहेरी थाना कांड संख्या 215/2023

अंतर्गत धारा 147,148,149,341,323,324,325,307,337,338,332,333 ,353,504, 506, 153A,295,379,380,435,436,427,109,120b I.P.C & 25(1-b)(a), 26, 27 Arms Act

06.03.2026

अभियुक्त **मुन्ना कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना।

संक्षेप में सूचक अंजन दत्ता का टंकित आवेदन में कथन है कि दिनांक 31.03.2023 समय करीब 6.10 बजे हिन्दू संगठन बजरंग दल/विश्व हिन्दू परिषद के तत्वाधान में शहर के विभिन्न मुहल्लों से छोटे छोटे जुलूस/झांकी निकलकर श्रम कल्याण मैदान, बिहारशरीफ से करीब 01.30 बजे रांची रोड होते हुए बाबा मणि राम अखाड़ा के लिये एक विशाल शोभा यात्रा निकला था। संध्या करीब 06.10 बजे शोभा यात्रा जुलूस के अंतिम छोर भरावपर पहुंचा तो देखा कि गगनदीवान के तरफ जुलूस में शामिल काफी संख्या में लोग हल्ला–हंगामा, उत्पाद, नारेबाजी, लूटपाट करते हुए आ रहे हैं, जिसमें से मुरारपुर मोहल्ला में कोल्ड ड्रीक की दुकान, एशिया होटल, भरावपर फल दुकान, अजिजिया मदरसा मार्केट एवं नाला रोड स्थित डिजिटल इंडिया दुकान में तोड़ फोड़ एवं लूटपाट करने लगे, जिसे रोकने का हर संभव प्रयास किया गया। परंतु उग्र भीड़ द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्वेश्य से नारा लगाते हुए साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने पुलिसकर्मियों एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को जान मारने की नीयत से अंधाधुंध रोड़ेबाजी एवं फायरिंग करने लगे जिससे पुलिस बल के साथ अन्य लोग भी जख्मी हो गये। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी० फूटेज एवं मोबाइल के विडियों के आधार पर 36 नामित अभियुक्त एवं अज्ञात करीब 300 व्यक्तियों के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक द्वारा वर्तमान नियमित जमानत आवेदन के अलावे इनके द्वारा इस न्यायालय में या किसी श्रेष्ठ न्यायालय में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्व हल्ला–हंगामा, उत्पाद, नारेबाजी, लूटपाट करने एवं धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई सीधा आरोप सूचक द्वारा नहीं लगाया गया है। इनके विरूद्व सिर्फ सामान्य एवं बहुप्रयोज्य आरोप लगाया गया है। इस वाद के कई अन्य सह अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अग्रिम एवं नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक का जमानत का आधार बेटर फूटिंग का है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 291/2026

मुन्ना कुमार बनाम बिहार सरकार

लहेरी थाना कांड संख्या 215/2023

अंतर्गत धारा 147,148,149,341,323,324,325,307,337,338,332,333 ,353,504, 506, 153A,295,379,380,435,436,427,109,120b I.P.C & 25(1-b)(a), 26, 27 Arms Act

लगातार

06.03.2026

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते है तथा यह स्वीकार करते है कि इस वाद के कई सह–अभियुक्तों को पूर्व में नियमित तथा अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्व हल्ला–हंगामा, उत्पाद, नारेबाजी, लूटपाट करने एवं धार्मिक उन्माद फैलाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने का कोई सीधा आरोप सूचक द्वारा नहीं लगाया गया है। इनके विरूद्व सिर्फ सामान्य एवं बहुप्रयोज्य आरोप लगाया गया है। इस वाद के कई अन्य सह अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अग्रिम एवं नियमित जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है । आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदक को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन, आवेदकगण को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।

,

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 291/2026

मुन्ना कुमार बनाम बिहार सरकार

लहेरी थाना कांड संख्या 215/2023

अंतर्गत धारा **147,148,149,341,323,324,325,307,337,338,332,333 ,353,504, 506, 153A,295,379,380,435,436,427,109,120b I.P.C & 25(1-b)(a), 26, 27 Arms Act**